

NBWL और वन्यजीव संरक्षण

प्रलिमिस के लिये:

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL), गरि राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़याल, भू-स्थानकि प्रतिक्रिया, प्रोजेक्ट चीता, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, बन्नी घास स्थल, प्रोजेक्ट लायन, मालधारी समुदाय, वन्य जीवन (संरक्षण) अधनियम, 1972, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

मेन्स के लिये:

वन्यजीव संरक्षण में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की हालायि पहले और भूमिका

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने वाशिव वन्यजीव दविस (3 मार्च) के अवसर पर गरि राष्ट्रीय उद्यान (जूनागढ़, गुजरात) में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और वन्यजीव संरक्षण के लिये कई पहलों की घोषणा की।

वाशिव वन्यजीव दविस क्या है?

- परचियः यह दविस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है (CITES द्वारा वर्ष 1973 में अंगीकृत) जसिका उद्देश्य जलवायु प्रविरतन, जैवविविधिता हरास और प्रदूषण जैसे तीन ग्रहीय संकट के दौरान जैवविविधिता की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।
- उदगमः इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा दसिंबर वर्ष 2013 में की गई थी।
- वर्ष 2025 थीमः वाइल्डलाइफ कंजरवेशन फाइनेंसः इन्वेस्टगि इन पीपल एंड प्लेनेट।
 - यह संधारणीय भविष्य सुनिश्चिति करने के लिये वन्यजीव संरक्षण में वित्तीय नविश के महत्तव पर बल देता है।

NBWL की 7वीं बैठक की प्रमुख घोषणाएँ कौन सी हैं?

- नई पहलः
 - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण: गंभीर रूप से संकटग्रस्त इस प्रजातिकी घटती जनसंख्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण योजना की घोषणा की गई।
 - घड़याल संरक्षण: घड़यालों की घटती जनसंख्या के समाधान हेतु एक नवीन घड़याल संरक्षण पहल शुरू की गई।
 - मानव-वन्यजीव संघर्ष केंद्रः मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई और यह भारतीय वन्यजीव संस्थान के कोयंबटूर परसिर में स्थिति होगा।
 - यह त्वरति प्रतिक्रिया टीमों को उन्नत ट्रैकिंग एवं निगरानी से लैस करने के साथ संघर्ष क्षेत्रों में पहचान प्रणालियाँ तैनात करने तथा कषेत्रीय करमचारियों और समुदायों को नयूनीकरण के संबंध में प्रशासिति करने पर केंद्रति है।
 - प्रधानमंत्री ने वनाग्नि और मानव-पशु संघर्ष के समाधान हेतु AI, ML, रमिट सेंसिंगि तथा भू-स्थानकि मानवतिरण के उपयोग पर बल दिया है।
 - WII और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरक्रिय अनुपरयोग एवं भू-सूचना वजिज्ञान संस्थान (BISAG-N) द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से नपिटने में सहयोग किया जाएगा।
 - राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्रः प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशलि रखी, जो वन्यजीव संवास्थय एवं रोग प्रबंधन का केंद्र होगा।
 - नवीन कार्यबलः भारतीय भालू, घड़याल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु नवीन कार्य बलों का गठन किया गया।
- प्रोजेक्ट चीता का वसितारः सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश) और बन्नी घास के मैदानों (गुजरात) तक वसितारति करने की घोषणा की है।

- प्रोजेक्ट लायन को मजबूत करना: सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एशियाई शेरों के क्षेत्र का वसितार करने के क्रम में[प्रोजेक्ट लायन](#) को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
 - 16वाँ एशियाई शेर संख्या आकलन, मई 2025 में होगा। यह प्रत्येक पाँच वर्ष में आयोजित किया जाता है (आखरी बार वर्ष 2020 में किया गया था)।
- नदी डॉल्फन आकलन: भारत की पहली नदी डॉल्फन आकलन रपोर्ट में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सधि नदी घाटियों में 6,327 डॉल्फन की पुष्टि की गई।
- वन्यजीव संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान: प्रधानमंत्री ने NBWL और प्रयावरण मंत्रालय से अनुसंधान और विकास के लिये वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक ज्ञान और पांडुलिपियों को एकत्र करने का आग्रह किया।
- सामुदायिक भागीदारी: उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, वन अग्नि प्रबंधन और सतत् सह-अस्ततिव में सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया।
 - उदाहरणार्थ, लायन कंजरवेशन में [मालधारी समुदाय](#) की भूमिका।

और पढ़ें: [मालधारी कौन हैं?](#)

//



वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

42वाँ संशोधन अधिनियम,

1976: वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)

अनुच्छेद

48 A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास

अनुच्छेद

51 A (g): वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्तव्य

वैधानिक ढाँचा

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहले

वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):

④ वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
④ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)

संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश

मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन

वन्यजीव अपराध नियंत्रण व्यूरो: वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु

वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):

④ जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
④ IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता

वन्यजीव अपराध नियंत्रण व्यूरो (WCCB): खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण:

- ④ ऑपरेशन सेव कुर्मा
- ④ ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैशिक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन (CITES)
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेशन (CMS)
- जैविक विविधता पर कन्वेशन (CBD)
- विश्व विरासत सम्मेलन
- रामसर कन्वेशन
- वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)



Drishti IAS

NBWL क्या है?

- **NBWL:** NBWL वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WPA, 1972) के तहत गठित वन्यजीव संरक्षण और विकास पर एक सर्वोच्च वैधानिक नियमिति है।
- **संरचना:** NBWL एक 47 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रयोगरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं।
- इसके सदस्यों में शामिल हैं:
 - वन्यजीव संरक्षण में शामिल अधिकारी
 - थल सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव और व्यय सचिव।
 - केंद्र सरकार द्वारा नामित दस प्रख्यात संरक्षणवादी, पारस्थितिकीवदि और प्रयोगरणवदि।
- **कार्य:** इसका उद्देश्य वन्यजीव और वन के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है।
- **बाघ अभ्यारण्यों में कार्य:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के मार्गदर्शन से किसी भी बाघ अभ्यारण्य को बनाया अनुमति के असंहनीय उपयोग के लिये हस्तांतरति नहीं किया जाएगा।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयोगों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के महत्व पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/??:

प्रश्न. नमिनलखिति संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिये: (2012)

1. बांदीपुर
2. मानस
3. भतिरकनका
4. सुंदरबन

उपर्युक्त में से किसी टाइगर रजिस्ट्रेशन घोषित किया गया है?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

?/?/?/?/??:

प्रश्न. भारत में जैवविविधिता कसि प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतजित और प्राणीजात के संरक्षण में जैवविविधिता अधिनियम, 2002 कसि प्रकार सहायक है? (2018)